

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 मई 2020—वैशाख 14, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

क्र. एफ-ए-3-01-2020-1-पांच (21).—राज्य सरकार मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (100) के साथ पठित धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में,—

- (क) राज्यकर संयुक्त आयुक्त द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिये राज्यकर विशेष आयुक्त या राज्यकर अपर आयुक्त; और
- (ख) राज्यकर उपायुक्त या राज्यकर सहायक आयुक्त या राज्यकर अधिकारी, द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए राज्यकर संयुक्त आयुक्त;

को उक्त अधिनियम की धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता है.

राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2020

क्र. एफ-ए-3-01-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-01-2020-1-पांच (21), दिनांक 4 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 4th May 2020

No. F. A-3-01-2020-1-V-(21).—In pursuance of the provisions of Section 5 read with clause (100) of Section 2 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), Commissioner of State Tax hereby authorises,—

- (a) the Special Commissioner of State Tax or Additional Commissioner of State Tax for decisions or orders passed by the Joint Commissioner of State Tax; and
- (b) the Joint Commissioner of State Tax for decisions or orders passed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner or State Tax Officer of State Tax,

as the Revisional Authority under Section 108 of the said Act.

RAGHWENDRA KUMAR SINGH, Commissioner of State Tax.